



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 469) पटना, मंगलवार, 8 सितम्बर 2009

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 सितम्बर 2009

सं० एल0जी0-1-09/2009/लेज-67— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2009 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(बिहार अधिनियम 10, 2009)

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2009

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-2 का संशोधन।—बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा-2 (क ड) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

“2 (क ड) - “ग्राम” से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत में सम्मिलित सभी राजस्व ग्राम या निकटस्थ राजस्व ग्रामों का समूह या उसका कोई भाग।”

3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-13 का संशोधन।—(i) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-13(1) की द्वितीय कंडिका में शब्द “विहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-13(1) की तृतीय कंडिका के दूसरे वाक्य में शब्द “उत्तरवर्ती चुनावों में” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-13(4) में शब्द “यथाविहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-13(4) के पश्चात् उल्लेखित स्पष्टीकरण “शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।” निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी, यथा—

“शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।”

4. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-15 का संशोधन।—(i) उक्त अधिनियम की धारा-15(5)(i) की द्वितीय कंडिका में शब्द “नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-15(5)(i) की तृतीय कंडिका के दूसरे वाक्य में शब्द “उत्तरवर्ती चुनावों में” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-15(5)(iv) में शब्द “विहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-15(5)(iv) के पश्चात् उल्लेखित स्पष्टीकरण “शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।” निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी, यथा—

“शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।”

5. बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 28 का संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा 28 में शब्द समूह “जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत कर अधिसूचित कर दिया हो,” के पश्चात् शब्द समूह “के आधार पर” अन्तःस्थापित किया जाएगा।

6. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-38 का संशोधन।—(i) उक्त अधिनियम की धारा-38(1) की द्वितीय कंडिका में शब्द “विहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-38(1) की तृतीय कंडिका के दूसरे वाक्य में शब्द “उत्तरवर्ती निर्वाचनों में” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-38(4) में शब्द “विहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।”

10. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-91 का संशोधन।—(i) उक्त अधिनियम की धारा-91(1) की द्वितीय कंडिका में शब्द “विहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-91(1) की तृतीय कंडिका के दूसरे वाक्य में शब्द “अगले चुनावों में” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-91(4) में शब्द “यथाविहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-91(4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित की जायगी, यथा—
“शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।”

11. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-93 का संशोधन।—(i) उक्त अधिनियम की धारा-93(5)(i) की द्वितीय कंडिका में शब्द “विहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-93(5)(i) की तृतीय कंडिका के दूसरे वाक्य में शब्द “उत्तरवर्ती चुनावों में” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-93(5)(iv) में शब्द “विहित रीति से” के पश्चात् शब्द “दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात्” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-93(5)(iv) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित की जायगी, यथा—

“शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।”

12. बिहार अधिनियम, 6, 2006 में धारा 125 की उप-धारा (8) के पश्चात् नई उप-धारा का जोड़ा जाना।—उक्त अधिनियम की धारा-125 में उप-धारा-(8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, यथा :-

“(9) निर्वाचन कार्य हेतु कतिपय प्राधिकारियों के कर्मियों को उपलब्ध कराया जाना।—

(क) जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के संपादन हेतु कर्मचारियों को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा, तब संबंधित प्राधिकारी उन कर्मचारियों को, उस संख्या में जो निर्वाचन कर्तव्य के संपादन हेतु आवश्यक हो, निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा। निर्वाचन कर्तव्य के अन्तर्गत मतदान, मतगणना, विधि व्यवस्था के संधारण, पेट्रोलिंग, दंडाधिकारी आदि से संबंधित कर्तव्य सम्मिलित माने जाएंगे।

(ख) उप-खंड “क” के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा-617 में परिभाषित सरकारी कंपनी

(3) कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम जिसे केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है या जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदान निधियों द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रित किया जाता है या वित्त प्रदान किया जाता है।”

13. बिहार अधिनियम, 6, 2006 में धारा-125 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन।— उक्त अधिनियम की धारा-125 के बाद निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :-

“125-क— (1) अभ्यर्थियों के लिए कतिपय सूचनाएं देना आवश्यक :- इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत परिदत्त अपने नाम निर्देशन पत्रों के साथ अभ्यर्थी किसी सूचना से भिन्न, जिसे प्रस्तुत करने के लिए वह अपेक्षित है, अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना भी शपथ पर प्रस्तुत करेगा :-

(i) क्या प्रत्याशी पूर्व में किसी आपराधिक कृत्य से दोष सिद्ध/दोष मुक्त/उन्मोचित है। क्या वह कारावास अथवा अर्थदण्ड से दंडित है।

(ii) क्या प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के छह माह पूर्व जिसमें छह महीने से अधिक के कारावास का दण्ड दिया जा सके, के लंबित प्रकरण में आरोपित है और उसमें आरोप तैयार कर लिया

गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, यदि ऐसा हो तो उसका विवरण।

- (iii) प्रत्याशी, उसके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, और उसके आश्रितों की परिसंपत्तियों (अचल, चल एवं बैंक में जमा राशि सहित) का विवरण।
- (iv) दायित्वों का विवरण यदि कोई हो, विशेष रूप से सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की अतिशोध्य दायित्वों अथवा राजकीय देयों का विवरण।
- (v) प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यताएँ।

उपर्युक्त सूचनाओं से संबंधित शपथ पत्र उपलब्ध न कराए जाने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन संवीक्षा के समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र उपलब्ध न कराए जाने के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य होगा।

उपर्युक्त शपथ-पत्र में प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की एक प्रति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के नोटिश बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को उदारतापूर्वक निःशुल्क तथा अन्य प्रत्याशी या व्यक्ति को आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि कोई प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सम्यक रूप से शपथ पत्र पर कोई प्रतिकूल सूचना शपथ पत्र के माध्यम से देता है तब प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के ऐसे शपथ पत्र को भी संबंधित प्रत्याशी के शपथ पत्र के साथ उपर्युक्त वर्णित तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत ही अभ्यर्थी द्वारा सूचना प्रस्तुत करना।— किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश, आदेश या आदेश में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद कोई अभ्यर्थी अपने निर्वाचन के संबंध में कोई ऐसी सूचना प्रकट या प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसे इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्रकट या प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) मिथ्या शपथ पत्र भरने के लिए शास्ति।— जो अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से निर्वाचन में निर्वाचित होने के उद्देश्य से

- (क) उप-धारा (2) से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने में असफल होता है या
- (ख) मिथ्या सूचना देता है जिसे मिथ्या होने की उसे जानकारी है या मिथ्या होने के विश्वास का कारण उसके पास है, या
- (ग) परिदत्त नाम निर्देशन पत्र में या अपने शपथ पत्र में किसी ऐसी सूचना को छिपाता है जो परिदत्त किए जाने हेतु अपेक्षित है, वह तत्समय प्रवृत्त विधि में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद एक अवधि के कारावास से, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(4) निर्वाचन कार्य हेतु परिसर/वाहनों का अधिग्रहण।— (i) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि राज्य के भीतर निर्वाचन के संबंध में :-

- (क) मतदान केन्द्र के रूप में प्रयोग हेतु या मतदान के पश्चात् मतपेटियों के भंडारण हेतु किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, या
- (ख) मतदान केन्द्र से मतपेटियों के परिवहन हेतु या निर्वाचन संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन हेतु या निर्वाचन कर्तव्यों के अनुपालन हेतु किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी वाहन, जलयान या जन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, तो सरकार लिखित आदेश द्वारा उस परिसर या वाहन, जलयान या जन्तु, जो भी स्थिति हो, का अधिग्रहण कर सकती है और ऐसा अन्य आदेश कर सकती है जो इस अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

परन्तु किसी ऐसे वाहन, जलयान या जन्तु का अधिग्रहण उस निर्वाचन में मतदान की समाप्ति तक नहीं कर सकती है जो अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए विधिपूर्वक प्रयुक्त किया जा रहा है।

(ii) संपत्ति पर कब्जा रखने वाले मालिक या व्यक्ति को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश के तहत अधिग्रहण किया जाएगा और ऐसा आदेश संबोधित किए गए व्यक्ति को निर्धारित तरीके से तामिल कराया जाएगा।

(iii) जब कभी किसी संपत्ति को खंड - (i) के उपखण्ड (क) अथवा (ख) के तहत अधिग्रहण हेतु माँग की जाती है तो उस माँग की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए उस संपत्ति की उस उपखंड में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षा है।

(iv) इस उप-धारा में -

(क) परिसर से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या भवन का भाग और झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उनका कोई भाग।

(ख) वाहन से अभिप्रेत है सड़क परिवहन हेतु प्रयुक्त कोई वाहन या प्रयुक्त किए जाने योग्य कोई वाहन चाहे यांत्रिक शक्ति द्वारा या अन्यथा चालित हो।

(v) जब कभी उक्त खंड (i) तक तहत राज्य सरकार किसी भवन का अधिग्रहण करती है तो हितबद्ध व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा जिसका निर्धारण निम्नांकित को विचार में रखते हुए किया जाएगा :-

(क) परिसर के संबंध में देय किराया या यदि कोई किराया देय नहीं हो तो उस क्षेत्र में समान परिसर के लिए देय किराया।

(ख) यदि परिसर के अधिग्रहण के फलस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपना निवास या व्यवसाय स्थल को परिवर्तित करने के लिए बाध्य है तो उस परिवर्तन से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो)

परन्तु जहाँ निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि द्वारा व्यथित कोई हितबद्ध व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर राज्य सरकार को आवेदन करता है कि इस मामले को मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाए तो भुगतान की जानेवाली क्षतिपूर्ति की राशि वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

परन्तु जहाँ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हक के लिए या क्षतिपूर्ति की राशि के प्रभाजन के लिए कोई विवाद हो तो इसके निर्धारण के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस मध्यस्थ के निर्णय के अनुरूप इसे निर्धारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-खंड में वर्णित "हितबद्ध व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिग्रहण के तुरंत पहले धारा के अन्तर्गत अधिग्रहित संपत्ति के वास्तविक आधिपत्य में था जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे वास्तविक आधिपत्य में नहीं था, वहाँ उस परिसर का स्वामी।

(ग) जब कभी उक्त खंड (i) के अनुसरण में राज्य सरकार किसी वाहन जलयान या जन्तु का अधिग्रहण करती है तब उसके मालिक को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस वाहन, जलयान या जन्तु के क्षेत्र में प्रचालित किरायों या दरों के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु जहाँ निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि द्वारा व्यक्ति ऐसे वाहन जलयान या जन्तु का मालिक निर्धारित समय के भीतर राज्य सरकार को आवेदन करता है कि इस मामले को मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाए तो भुगतान की जानेवाली क्षतिपूर्ति की राशि वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

परन्तु जहाँ अधिग्रहित वाहन या जलयान आवश्यकता से तुरत पहले भाड़ा बुक करार के कारण मालिक से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिपत्य में हो, वहाँ निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि करार के अनुरूप उस व्यक्ति एवं मालिक के बीच आनुपातिक रूप से भुगतेय होगी। करार के व्यक्ति में इसे उस तरीके से निर्गत किया जाएगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

(vi) खंड (i) के तहत संपत्ति अधिग्रहण करने या खंड (v) के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के विचार से राज्य सरकार उस संपत्ति से संबंधित किसी सूचना को ऐसे प्राधिकारी को देने का आदेश किसी व्यक्ति को दे सकती है या पेक्षा कर सकती है जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(vii) **परिसर में प्रवेश और निरीक्षण आदि की शक्ति**।- राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है और किसी परिसर, वाहन, जलयान या जन्तु का निरीक्षण कर सकता है कि खंड (i) के तहत ऐसे परिसर, वाहन जलयान या जन्तु के संबंध में किस प्रकार का आदेश दिया जाए ताकि उस खण्ड के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।

(viii) **अधिग्रहित परिसर से बेदखली**।- (क) खंड (ii) के तहत किसी अधिग्रहित परिसर के आदेश के विपरीत कोई व्यक्ति उस परिसर पर कब्जा रखता है तो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसे उस परिसर से संक्षेपतः बेदखल किया जाएगा।

(ख) इस प्रकार अधिकृत कोई पदाधिकारी जनता के बीच नहीं आनेवाली किसी महिला को युक्तियुक्त चेतावनी देने और प्रत्याहरण की सुविधा देने के पश्चात् किसी भवन के किसी ताले या चिटकनी को हटा या खोल सकता है या किसी दरवाजे को तोड़ सकता है या उसे बेदखल करने हेतु कोई अन्य कार्य कर सकता है।

(ix) अधिग्रहण से परिसर की मुक्ति :-

- (क) जब खण्ड (ii) के तहत अधिग्रहित किए गए किसी परिसर को अधिग्रहण से मुक्त किया जाता है तो उसका कब्जा उस व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा जिससे परिसर के अधिग्रहण के समय कब्जा लिया गया था या यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा उस परिसर के स्वामी के रूप में माने जानेवाले व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा और अधिपत्य का ऐसा परिदान राज्य सरकार को ऐसे परिदान के सभी दायित्वों से पूर्णतः मुक्त करेगा लेकिन परिसर के संबंध में किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति परिसर का कब्जा प्रदान किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत हकदार हो सकेगा।
- (ख) जहाँ खण्ड (ii) के तहत अधिग्रहित किसी परिसर के कब्जा को खंड (ix) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना हो और वह व्यक्ति नहीं पाया जाए या तुरंत सुनिश्चित नहीं किया जाए या उसकी तरफ से परिदान स्वीकृत करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो वहाँ राज्य सरकार द्वारा यह घोषित करते हुए सूचना दी जाएगी कि ऐसे परिसर को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है। इसे उस परिसर के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाया जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित करेगा।
- (ग) जब उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाए, तो उस सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर उस प्रकाशन की तिथि पर या से अधिग्रहण को समाप्त माना जाएगा और उसके कब्जा के हकदार व्यक्ति को परिदत्त किया हुआ माना जाएगा और राज्य सरकार उस तिथि के बाद किसी अवधि के लिए उस परिसर के संबंध में किसी क्षतिपूर्ति या अन्य दावे के लिए दायी नहीं होगी।

(x) अधिग्रहण के संबंध में राज्य सरकार के कार्यों का प्रत्यायोजन ।— राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है कि खंड (i) से (ix) तक के किन्हीं प्रावधानों द्वारा सरकार को ऐसी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान कोई शक्तियाँ या अधिरोपित कर्तव्य ऐसे अधिकारी या अधिकारियों की श्रेणी द्वारा प्रयुक्त या निर्वहित किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।

(xi) अधिग्रहण से संबंधित किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति ।—यदि कोई व्यक्ति खंड (i) या (vi) के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो वह कारावास की सजा, जो एक साल तक के लिए विस्तारित की जा सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

14. बिहार अधिनियम, 6, 2006 में धारा-126 के पश्चात् नई धारा का अंतःस्थापन ।— उक्त अधिनियम की धारा-126 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :-

“126-क- मत देने का अधिकार :-

- (1) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह इस अधिनियम में निर्दिष्ट किन्हीं निहर्ताओं के अधीन है।
- (2) कोई व्यक्ति समान श्रेणी के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में साधारण या उप निर्वाचन में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो सभी ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में उसके मत शून्य होंगे।
- (3) कोई व्यक्ति समान निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक मत नहीं देगा यद्यपि उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में एक से अधिक बार पंजीकृत हो और यदि वह मत देता है तो उस निर्वाचन क्षेत्रों में उसके सभी मत शून्य होंगे।
- (4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास की सजा या निर्वासन या अन्य स्थिति में या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में, कारावास में संसीमित हो। परन्तु यह उप-धारा किसी ऐसे व्यक्ति के उपर लागू नहीं होगी जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध अन्तर्गत आता है।
- (5) उप-धारा (2) एवं (3) में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचक के लिए प्रौक्सी के रूप में मत देने के लिए अधिकृत किया गया हो, जहाँ तक वह ऐसे निर्वाचक के लिए प्रौक्सी के रूप में मतदान करता है।

15. बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा-130 का संशोधन ।— उक्त अधिनियम की धारा-130 की उप-धारा-(16) के स्पष्टीकरण में शब्द-समूह “और धारा-97 (ख)” को विलोपित किया जाएगा।

16. बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 136 का संशोधन ।— धारा-136 की उप-धारा-(2) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के प्रभाव से प्रतिस्थापित समझा जायगा :-

“यदि किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रश्न उठे कि ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद् का अध्यक्ष सहित किसी स्तर के पंचायत का सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच या ग्राम कचहरी का पंच निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात् जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-243(च) में प्रावधान किया गया है एवं धारा-135 या धारा-136 की

उप-धारा-(1) में उल्लिखित निरर्हताओं के अध्यक्षीन है, तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयुक्त को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जायेगा। निर्वाचन पूर्व या निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का त्वरित निष्पादन कर सकेगा।

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद-243(ण) के साथ पठित अधिनियम की धारा-137 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे किसी परिवाद या आवेदन जो विशुद्ध रूप से निर्वाचन विवाद यथा भ्रष्ट आचरण, गलत तरीके से नामांकन रद्द करने इत्यादि को विचारित करने में सक्षम नहीं होगा।

(2) धारा-136(3) में "सरपंच" शब्द के पश्चात् "या पंच" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

8 सितम्बर 2009

सं० एल0जी0-1-09/2009/लेज 68—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2009 को अनुमत बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

(Bihar Act 10, 2009)

THE BIHAR PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2009

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (ACT 6, 2006)

BE it enacted in the 60th year of the Republic of India by the State Legislature of Bihar as follows :-

1. *Short name, extent and commencement.*— (1) This act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section-2 of the Bihar Act 6, 2006.*—Section-2 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 shall be substituted by the following:-

"2 (a m) - "Village" means all revenue villages or group of adjoining revenue villages or part thereof falling within a Gram Panchayat."

3. *Amendment of Section-13 of the Bihar Act 6, 2006.*—(i) In the second paragraph of section-13 (1) of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006) (herein after referred to as the Act), the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in the prescribed manner."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-13(1) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(iii) In section-13(4) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(iv) The explanation mentioned after section -13(4) of the Act "For the removal of doubts it is hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the scheduled castes and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first

election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993." shall be substituted as under :-

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

4. *Amendment of Section-15 of the Bihar Act 6, 2006.*—(i) In the second paragraph of section-15 (5)(i) of the Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after the words "control and supervision."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-15 (5)(i) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(iii) In section-15 (5)(iv) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(iv) The explanation mentioned after section -15 (5)(iv) of the Act "For the removal of doubts it is hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the scheduled castes and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993." shall be substituted as under :-

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

5. *Amendment to the section 28 of Bihar Act, 6, 2006.*— English version does not need any amendment.

6. *Amendment of Section-38 of the Bihar Act 6, 2006.*—(i) In the second paragraph of section-38(1) of the Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after the words "in the prescribed manner."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-38(1) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(iii) In section-38(4) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(iv) The explanation mentioned after section -38(4) of the Act "For the removal of doubts it is hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the scheduled castes and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993." shall be substituted as under :-

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

7. *Amendment of Section-40 of the Bihar Act 6, 2006.*—(i) In the second paragraph of section-40(2) of the Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after the words "in the manner prescribed."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-40(2) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(iii) In section-40(2)(iv) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(iv) The explanation mentioned after section -40(2)(iv) of the Act "For the removal of doubts it is hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the scheduled castes and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993." shall be substituted as under :-

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

8. *Amendment of Section-65 of the Bihar Act 6, 2006.*—(i) In the second paragraph of section-65(1) of the Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after the words "in the prescribed manner."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-65(1) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(iii) In section-65(4) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(iv) The explanation mentioned after section -65(4) of the Act "For the removal of doubts it is hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the scheduled castes and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993." shall be substituted as under :-

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

9. *Amendment of Section-67 of the Bihar Act 6, 2006.*—(i) In the second paragraph of section-67(2) of the Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after the words "Zila Parishads."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-67(2) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in subsequent elections."

(iii) In section-67(2)(iv) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in the manner as may be prescribed."

(iv) The explanation mentioned after section -67(2)(iv) of the Act "For the removal of doubts it is hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the scheduled castes and scheduled Tribes under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 1993." shall be substituted as under :-

"For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

10. *Amendment of Section-91 of the Bihar Act 6, 2006.*—(i) In the second paragraph of section-91(1) of the Act, the words "after two consecutives general elections" shall be inserted after the words "in the prescribed manner."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-91(1) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(iii) In section-91(4) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(iv) After sub-section - (4) of section – 91 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 the following explanation shall be inserted :-

"Explanation — For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

11. *Amendment of Section-93 of the Bihar Act 6, 2006.—(i)* In the second paragraph of section-93(5)(i) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in the manner prescribed."

(ii) In second sentence of third paragraph of section-93(5)(i) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "during subsequent elections."

(iii) In section-93(5)(i) of the Act, the words "after two consecutive general elections" shall be inserted after the words "in such manner as may be prescribed."

(iv) After clause (iv) of sub-section-(4) of section-93 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 the following explanation shall be inserted :-

*"Explanation —*For the removal of doubts it is, hereby, declared that the principle of rotation for the purpose of reservation of offices for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes, Women of Backward classes and Women of unreserved category under this sub-section shall commence from the first election held after the commencement of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006."

12. *Insertion of a new sub-section after sub-section (8) in section-125 of Bihar Act, 6, 2006.—* After sub-section- (8) in section-125 of the said Act, the following new sub-section shall be inserted, namely :—

“(9) *Staff of certain authorities to be made available for election work .—*

(a) The authorities specified in clause (b) shall, when so requested by the District Election Officer, (Panchayat), make available to any returning officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with an election. Duties related with polling, counting of votes, maintenance of law and order, patrolling and magistracy etc. shall be deemed to be included under election duty.

(b) The following shall be the authorities for the purposes of clause (a), namely :

(i) every local authority;

(ii) a Government company as defined in section -617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(iii) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a Central, provincial or State Act or which is controlled, or financed wholly or substantially by funds provided, directly or indirectly, by the Central Government or a State Government.

13. *Insertion of a new section after section- 125 of Bihar Act, 6, 2006.—* After section-125 of the said Act, the following new section shall be inserted, namely:—

“125-A – (1) *Furnishing of certain information essential for candidates.—* A candidate shall, apart from any information which he is required to furnish in his nomination papers delivered under the Act or the rules made thereunder, also furnish information on affidavit on the following aspects in relation to his/her candidature—

(i) Whether he is convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past- if any, whether he is punished with imprisonment or fine;

(ii) Prior to six months of filing of nominations, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for more than six months, and in which a charge has been framed or cognizance has been taken by a competent court of law. If so, the details thereof.

(iii) The assets (including movable, immovable and bank balances, etc.) of a candidate, and of his/her spouse and that of dependents.

- (iv) Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public financial institution or government dues.
- (v) The educational qualifications of the candidate.

In case of non-furnishing of the affidavit by any candidate, the nomination of the concerned candidate shall be liable to rejection by the returning officer at the time of scrutiny of nominations for such non-furnishing of the affidavit.

The information so furnished by each candidate in the aforesaid affidavit shall be disseminated by the respective returning officer by displaying a copy of the affidavit on the notice board of his office and also by making the copies thereof available freely and liberally to the representatives of the print and electronic media and to any other candidate of person on deposit of fee prescribed by the Commission.

If any rival candidate furnishes information to the contrary by means of a duly sworn affidavit, then such affidavit of the rival candidate shall also be disseminated along with the affidavit of the candidate concerned in the manner directed above.

(2) *Candidate to furnish information only under the Act and the rules.*— Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or any direction, order or any other instruction issued by the State Election Commission, no candidate shall be liable to disclose or furnish any such information, in respect of his election, which is not required to be disclosed or furnished under this Act or the rules made thereunder.

(3) *Penalty for filing false affidavit, etc.*— A candidate who himself or through his proposer, with intent to be elected in an election, —

- (i) fails to furnish information relating to sub-section(2) or
- (ii) gives false information which he knows or has reason to believe to be false; or
- (iii) conceals any information, in his nomination paper or in his affidavit which is required to be delivered, as the case may be, shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both.

(4) *Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.* — (i) If it appears to the State Government that in connection with an election within the State —

- (a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or
- (b) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election, the government may by order in writing requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning :

Provided that no vehicle, vehicle or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this at such election.

(ii) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(iii) Whenever any property is requisitioned under sub-clause(a) or (b) of clause (i), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-clause.

(iv) In this sub-section —

- (a) “Premises” means any land, building or part of a building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;
- (b) “Vehicles” means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

(v) *Payment of compensation.*— Whenever in pursuance of clause (i) the State Government requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the

- (a) rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;
- (b) if in consequence of the requisition of the premises, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change:

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine:

Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation, it shall be referred by the State Government to an arbitrator appointed in this behalf by the Government for determination, and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator.

Explanation:— In this sub-clause, the expression “person interested” means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under clause(i) immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner of such premises.

- (c) Whenever in pursuance of clause (i) the State Government requisitions any vehicle, vessel or animal, there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the State Government on the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle, vessel or animal:

Provided that where the owner of such vehicle, vessel or animal being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine:

Provided further that where immediately before the requisitioning the vehicle or vessel was by virtue of a hire purchase agreement in the possession of a person other than the owner, the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may agree upon, and in default of agreement, in such manner as an arbitrator appointed by the State Government in this behalf may decide.

(vi) *Power to obtain information.*—The State Government may with a view to requisitioning any property under clause (i) or determining the compensation payable under clause (v) by order, require any person to furnish to such authority as may be specified in the order such information in his possession relating to such property as may be so specified.

(vii) *Powers of entry into and inspection of premises, etc.* — Any person authorized in this behalf by the State Government may enter into any premises and inspect such premises and any vehicle, vessel or animal therein for the purpose of determining whether, and if so in what manner, an order under clause (i) should be made in relation to such premises, vehicle, vessel or animal, or with a view to securing compliance with any order made under that clause

(viii) *Eviction from requisitioned premises.*— Any person remaining in possession of any requisitioned premises in contravention of any order made under clause(ii), may be summarily evicted from the premises by any officer empowered by the State Government in this behalf.

(2) Any officer so empowered may, after giving to any woman not appearing in public reasonable warning and facility to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door of any building or do any other act necessary for effecting such eviction.

(ix) *Release of premises from requisition.*— (1) When any premises requisitioned under clause (ii) are to be released from requisition, the possession thereof shall be delivered to the person from whom possession was taken at the time when the premises were requisitioned, or if there were no such person, to the person deemed by the State Government to be the owner of such premises and such delivery of possession shall be a full discharge of the State Government from all liabilities in respect of such delivery but shall not prejudice any rights in respect of the premises which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the premises is so delivered.

(2) Where the person to whom possession of any premises requisitioned under clause(ii) is to be given under clause (ix) cannot be found or is not readily ascertainable or has no agent or any other person empowered to accept delivery on his behalf, the State Government shall cause a notice declaring that such premises are released from requisition to be affixed on some conspicuous part of such premises and publish the notice in the official gazette.

(3) When a notice referred to in sub-clause (b) is published in the Official Gazette, the premises specified in such notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of such publication and be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof; and the State Government shall not be liable for any compensation or other claim in respect of such premises for any period after the said date.

(x) *Delegation of functions of the State Government with regard to requisitioning* — The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any powers conferred or any duty imposed on that Government by any of the provisions of clause (i) to (ix) shall, under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by such officer or class of officers as may be so specified.

(xi) *Penalty for contravention of any order regarding requisitioning*— If any person contravenes any order made under clause (i) or (vi), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

14. *Insertion of a new section after section - 126 of Bihar Act, 6, 2006.*—After section - 126 of the said Act, the following new section shall be inserted, namely :—

“126-A *Right to vote* —

- (1) No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualifications referred to in the Act.
- (2) No person shall vote at a general or bye election in more than one constituency of the same class, and if a person votes in more than one such constituency, his votes in all such constituencies shall be void.
- (3) No person shall at any election vote in the same constituency more than one, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for the constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.
- (4) No person shall vote at any election if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the police;

Provided that nothing in this subsection shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.

- (5) Nothing contained in sub-section -(2) and (3) shall apply to a person who has been authorized to vote as proxy for an elector under this Act in so far as he votes as a proxy for such elector.

15. *Amendment of section-130 of Bihar Act, 6, 2006.*— In explanation (1) of sub-section (16) in section 130 of the said Act, the group of words “and section 97(b)” **shall be deleted.**

16. *Amendment of section - 136 of Bihar Act, 6, 2006.*— Sub-Section-(2) of Section – 136 shall be substituted as follows and shall be deemed to have been substituted w.e.f. 10th of April 2006 :-

"If any question arises as to whether Member of Panchayat at any level including Mukhiya of Gram Panchayat, Pramukh of Panchayat Samiti or Adhyaksh of Zila Parishad or Sarpanch of Gram Kutchahry or Panch of Gram Kutchahry was disqualified before election or has incurred disqualification after election as provided in Article 243-F of Constitution of India and subject to any disqualifications mentioned in Section-135 or Sub-section-(1) of Section-136, the question shall be referred for the decision of State Election Commissioner. The matter of disqualification before or after election may be brought to the notice of State Election Commission in the form of complaint, application or information by any person or authority. The State Election Commission may also take suo motu cognizance of such disqualification and decide such matters expeditiously after allowing sufficient opportunity to the affected parties of being heard;

Provided that the State Election Commission shall not be entitled to entertain any complaint or petition subject matter of which is purely an election dispute such as corrupt practice, wrongful rejection of nomination etc. in accordance with Article 243-O of the Constitution of India read with Section-137 of the Act"

(2) In section-136(3), after the word "Sarpanch" the word "or Panch" shall be inserted.

By Order of the Governor of Bihar,
DILIP KUMAR SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 469-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>